जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 392 दि. 20.06.17

आदेश

विषयः- असामान्य मीटर रीडिंग के मामलों में बिलिंग संबंधी दिशा-निर्देश।

प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग असामान्य (दुगने से अधिक) आने पर तद्नुसार ही बिल जारी कर दिये जाते है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने में असुविधा होती है एवं बिल जमा ना कराये जाने पर अकारण ही निगम को राजस्व की हानि होती है।

ऐसे मामलों में विवाद से बचने के लिये निर्देश जारी किये जाते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू श्रेणी के मामलों में यदि उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग सामान्य उपभोग के दुगने से अधिक दर्ज की जाती है तो इस संबंध में निगम द्वारा उपभोक्ता को असामान्य विद्युत उपभोग के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का नोटिस जारी किया जावेगा एवं पिछले औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी कर दिया जावेगा। असामान्य मीटर रीडिंग संबंधी नोटिस के जवाब में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले का निस्तारण किया जायेगा एवं उचित समाधान होने के पश्चात् ही आगामी विद्युत बिलों में राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

बिल जारी होने से पूर्व उपभोक्ता को मीटर रिडिंग के संदर्भ में जानकारी देने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता की मीटर रिडिंग के पश्चात् उसके पठन एवं उपभोग की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस (SMS) द्वारा भेजी जावे।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

20/6/17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर